

राजस्थान सरकार
गृह (गुप-10) विभाग

क्रमांक : प. 18(3)स्था./गृह-10/23


जयपुर, दिनांक: 16.03.2024

आदेश

गृह (गुप-10) विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22.02.2024 द्वारा श्री जोराराम, संयुक्त निदेशक अभियोजन, जोधपुर (पद विरुद्ध) का उप निदेशक अभियोजन, जालोर के पद पर एवं श्री महेन्द्र कुमार शांडिल्य, सहायक निदेशक अभियोजन, पीसीपीएनडीटी, स्वास्थ्य विभाग, जयपुर का सहायक निदेशक अभियोजन, एसीबी, अलवर के पद पर किया गया स्थानान्तरण तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

इसके साथ ही श्रीमती शारदा गोयल, अपर लोक अभियोजक, लक्ष्मणगढ जिला अलवर का स्थानान्तरण सहायक निदेशक अभियोजन, न्यायालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर के रिक्त पद पर किया जाता है।


संबंधित संयुक्त/उप निदेशक अभियोजन उपरोक्त अधिकारीगण की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण अविलम्ब कराकर पालना सुनिश्चित करें।


(रवि शर्मा)

शासन सचिव, गृह (विधि)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
3. निजी सचिव, महानिदेशक पुलिस एसीबी।
4. निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर।
5. संबंधित जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, न्याय/अभियोजन
7. समस्त उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
8. समस्त सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
9. संबंधित सहायक निदेशक अभियोजन।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।


शासन सचिव, गृह (विधि)
राजस्थान, जयपुर